

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत
तथा एकलव्य योजनान्तर्गत
तीन वर्षिय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2025-26

1	पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत तथा एकलव्य योजनान्तर्गत तीन वर्षिय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम तथा योजनान्तर्गत संचालित संस्थाओं की पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता	पृष्ठ 2-11
2	संस्थावार/ब्रांचवार उपलब्ध सीटों की संख्या	पृष्ठ12-12
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 13-17

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

**पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर
योजनान्तर्गत तथा एकलव्य योजनान्तर्गत
डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2025-26**

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के निम्नलिखित शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित **डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत तथा एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों** में प्रवेश के नियम

(1) डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत :-

- (i) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय मुरैना-
प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये (निःशुल्क आवासीय योजना)
- (ii) शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय सीहोर-
प्रदेश के अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये (निःशुल्क आवासीय योजना)
- (iii) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय लटेरी, जिला विदिशा-
प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं (सह-शिक्षा) के लिये (निःशुल्क आवासीय योजना)

(2) एकलव्य योजनान्तर्गत :-

- (i) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ-
प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये (निःशुल्क आवासीय योजना) ।
- (ii) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला-
प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये (निःशुल्क आवासीय योजना)।
- (iii) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय हरसूद, जिला खण्डवा-
प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं (सह-शिक्षा) के लिये
(निःशुल्क आवासीय योजना)।

1.1 सामान्य :

ये नियम राज्य शासन द्वारा घोषित डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर/शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा) एवं एकलव्य योजनान्तर्गत शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ/शासकीय

पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला/शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा) के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC)।
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
5. आयुक्त का तात्पर्य है आयुक्त, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कुलगुरु का तात्पर्य है कुलगुरु राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
7. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी।
8. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।
9. योजनान्तर्गत का तात्पर्य डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर योजना तथा एकलव्य योजना से है।
10. अ.भा.त.शि.प. का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

1.3 लागू होना:-

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के निम्नलिखित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक हैं :-

(अ) डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हेतु)

- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना
- शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा)

(ब) एकलव्य योजनान्तर्गत (केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु)

- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा)

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता

संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	<u>डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत</u> शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना	100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आरक्षित है।
2	<u>डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत</u> शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर	100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्राओं हेतु आरक्षित है।
3	<u>डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत</u> शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा)	50 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं हेतु आरक्षित है।
4	<u>एकलव्य योजनान्तर्गत</u> शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ	100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षित है।
5	<u>एकलव्य योजनान्तर्गत</u> शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला	100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु आरक्षित है।
6	<u>एकलव्य योजनान्तर्गत</u> शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा)	50 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों एवं छात्राओं हेतु आरक्षित है।

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्ष (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> र उपलब्ध कराई जावेगी ।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना:- केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आरक्षित है।
- शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर:- केवल मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु आरक्षित है।

- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी, जिला विदिशा:- केवल मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं हेतु 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ:- केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षित है।
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला:- केवल मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु आरक्षित है।
- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद, जिला खण्डवा:- केवल मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं हेतु 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

टिप्पणी :-

(अ) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें।)

(ख) **मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2022 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25-09-2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/अ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06-07-2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश।

ग) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):

(1) दिव्यांग उम्मीदवारों (Differently Abled Persons(D)), हेतु आरक्षण:

40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार जो इस प्रवेश नियम के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए प्रत्येक पोलीटेकनिक महाविद्यालय में ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण केवल उस श्रेणी में रहेगा, जिस श्रेणी के लिये वह पोलीटेकनिक महाविद्यालय आरक्षित है।

टिप्पणी :-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध दिव्यांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के छपस वर्ग (बिना वर्ग, ग) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु, नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, नेपीयर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (Superintendent, National Career Service Center for Differently Abled, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh.Pradesh) द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे। जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1.5.1 जो भारत का नागरिक हो

1.5.2 शैक्षणिक अर्हता

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

1.5.3 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में योजनान्तर्गत प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार को पात्रता होगी

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Admission Procedure of Online Off campus Counselling):-

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

1.8.1 मेरिट अंकों में अधिभार :-

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.8.2 योग्यता क्रम की सूचीयों:-

1.8.2.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं ब्रांच का आवंटन योग्यताक्रम (Common merit) सूचियों के आधार पर किया जाएगा एवं प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

1.8.2.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :-

टिप्पणी:-

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
3. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।
4. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
5. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

1.8.3 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :-

1.8.3.1 काउंसिलिंग का कार्यक्रम प्रदेश के मुख्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.3.2 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करना है।

नोट:- काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माईग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त

करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.8.3.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

1.8.3.4 एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण :

प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्रा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अन्य संस्था में स्थानान्तरण नहीं होगा।

1.9 प्रवेश का क्रम :-

1.9.1 योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये संस्था में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर एकलव्य योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित व इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश के समय शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होंगे।

1.9.2 ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश के समय शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होंगे।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 संस्था में देय शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क :-

1.11.1 निर्धारित श्रेणी के लिये आरक्षित संस्था में आरक्षित श्रेणी के पात्र छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय प्रतिवर्ष रुपये एक लाख अस्सी हजार (1.80 लाख) से अधिक न हो को कोई शुल्क नहीं देना होगा किन्तु उन्हें कॉशन मनी (वापसी योग्य) जमा करना होगा।

1.11.2 निर्धारित श्रेणी के लिये आरक्षित संस्था में आरक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने वाले अन्य छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होंगे।

1.11.3 शुल्कों में राज्य शासन के निर्देशानुसार किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा और इस प्रकार से किये गये परिवर्तनों को संबंधित शैक्षणिक सत्र से लागू माना जावेगा।

1.11.4 सुविधाएँ :-

म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय के आदेश क्र./एफ 5/2/2006/42-1 भोपाल दिनांक 10 मई 2007 के अनुसार एकलव्य योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं, डॉ बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जावेंगी :-

अ) छात्रवृत्ति:-	रु 1000/- प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा
ब) निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री:-	प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति छात्र/छात्रा
स) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें:-	प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति छात्र/छात्रा
द) निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन:-	छात्र/छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की जावेगी।
ढ) निःशुल्क परीक्षा:-	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की वास्तविक राशि

1.11.5 उपरोक्त सुविधाएं छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त होगी:-

- यदि छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय प्रतिवर्ष रुपये 1.80 लाख से अधिक न हो।
- छात्र/छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् छात्रावास में ही निवास करना अनिवार्य होगा तथा यह भी आवश्यक होगा कि छात्र/छात्राओं की संस्था में उपस्थिति प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम न हो। (विशेष परिस्थितियां, यथा-बीमारी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिये संस्था प्रमुख की लिखित अनुमति की अवधि को छोड़कर।)
- उपरोक्त सुविधाएं केवल एक ही पाठ्यक्रम के लिए देय होगी तथा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक ही सुविधा दी जायेगी। यदि छात्र/छात्राएँ समय पर सेमेस्टर

में सफल नहीं होते हैं तो अतिरिक्त अवधि के लिए किसी तरह की राहत नहीं दी जायेगी तथा उन्हें छात्रावास में रहने की सुविधा इस शर्त पर दी जायेगी कि वे छात्रावास के रहने एवं भोजन इत्यादि के व्यय का भुगतान संस्था/छात्रावास के नियमों के अनुसार करेगा/करेगी।

द) अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा तथा ऐसे छात्र/छात्राएं जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अपना पाठ्यक्रम बीच में छोड़ देते हैं तो उनसे किए गए अनुबंध के आधार पर उन पर व्यय की गई राशि वापसी योग्य होगी। प्रत्येक छात्र/छात्रा को संस्था द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1.12 निवर्चन :-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 उपांतरण :-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन (Modification) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 क्षेत्राधिकार :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

आवेदन-पत्र एवं प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट

<https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

सत्र 2025-26 में डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत
पोलीटेकनिक महाविद्यालय/महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के
प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध ब्रांचवार सीटों की संख्या
(सीटों की संख्या एआईसीटीई के अनुमति के अधीन परिवर्तनीय)

सं.क्र.	संस्था का नाम	उपलब्ध ब्रांच	कुल सीट	आरक्षित श्रेणी
1	2	3	4	5
डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालय				
1.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना.	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग. 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र)
2.	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर	5. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम) 6. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग	60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के महिला उम्मीदवार (छात्राएँ)
3.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार (छात्र एवं छात्राएँ)
एकलव्य योजनान्तर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालय				
4.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला	1. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन 3. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के महिला उम्मीदवार (छात्राएँ)
5.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र)
6-	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार (छात्र एवं छात्राएँ)

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE.

**अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग..... जिला मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी पिता/
पति का नाम निवासी ग्राम/नगर वि.खं.
तहसील जिला संभाग के जाति/
जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन
मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया
गया है और यह जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)
अधिनियम 1976 ,के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित हैं।
अतः श्री / श्रीमती/ कुमारी पिता/पति का नाम
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक
श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय
रूपए.....है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

पदनाम

टिप्पणी

- 1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।
- 2 केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

**मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र
स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)**

अनुभाग..... जिला मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी/ग्राम/शहर.....
तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं,
जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक
2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है
और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
..... संभाग.....में निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3-में तथा
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ -1/93/26-7 .आ.प्र., दिनांक 8 मार्च
1994के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की
कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन
कर चुका है।

दिनांक

(सील)

**हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम**

**स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र
कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार**

टप्पा/तहसील जिला.....

प्र.क्र वर्ष..... दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
फोटो लगाया जाये जो
प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा सत्यापित
किया जायें

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.....
पिता/पति निवासी
तहसील जिला
(मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील जाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।
- 2 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/ आत्मजा/ श्री.....ने

वर्ष की.....में भारत सरकार,

युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार

पत्र पर

आयोजित.....राष्ट्रीय

प्रतियोगिता मेंस्वर्ण पदक अर्जित किया है।

संचालक

खेल और युवक कल्याण,

स्थान

मध्यप्रदेश दिनांक

हस्ताक्षर

एवं पद मुद्रा

नोट:-

ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक, दिनांक 25.09.2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

प्रारूप -10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र

(सादे कागज पर)

- में आत्मज श्री आयु वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-
- 1 मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
 - 2 मेरी नाम से ग्राम..... में हैकटेयर/एकड़ कृषक भूमि है ,जिससे मुझे रुपये.....शब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।
 - 3 मेरा व्यवसाय..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....शब्दों में है।
 - 4 गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में है।
 - 5 मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैं:-
1..... 2..... 3..... 4..... 5
 - (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
 - 6 मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में है।
 - 7 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
- अथवा**
- 8 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर